


अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या-126/2020-21(VIII)

| दिनांक | आदेश फलक | अभियुक्ति |
|----------|--|-----------|
| 3/9/2020 | <p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपटित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एंव सह-पटित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा-.....<u>बणकुमा</u>..... थाना नं०-.....<u>197</u>..... खाता संख्या-.....<u>50</u>..... प्लॉट संख्या-.....<u>30</u>..... रकबा-.....<u>4.570</u>..... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या-.....<u>3</u>..... के पृष्ठ संख्या-.....<u>770</u> <u>888</u> पर जमाबंदी रैयत <u>श्री चरण कुमार</u> पिता <u>रबू जेठू कुमार</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती हैं, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक-.....<u>19/9/2020</u>..... को उपस्थापित करें।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  अंचल अधिकारी गोविन्दपुर </div> | |

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।


19/11/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री चरण एज्वार पिता स्व० जइए एज्वार
2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-

| मौजा | थाना नं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| <u>वागसुमा</u> | <u>197</u> | <u>50</u> | <u>30</u> | <u>410</u> |
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या.....3..... पृष्ठ सं०-770 पर कायम है-
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है- 2007-08
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गौर आवाफ मालिक
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- श्री
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- गौर आवाफ
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबन्दोवस्ती) - बन्दोवस्ती केअ 90 6 (VIII) 2006-07.
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोवस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) संघारित पंजी-2.
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

| | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| कम संख्या | लगान रसीद संख्या | रसीद निर्गत तिथि | वसूली वर्ष |
| <u>1</u> | <u>1991732</u> | | <u>2007-08.</u> |
| <u>अं०३/अ०३/अ०३/गौर आवाफ</u> | | | |
| <u>महाशम</u> | | | |

अवेडित भूमि मौजा वागसुमा थाना सं० 197 खाना 50 प्लॉट सं० 30 रकबा 410 संघारित गौर आवाफ पंजी के अनुसार गौर आवाफ खाता की है पाकिस्तान मालिक में बन्दोवस्ती केअ 90 6 (VIII) 2006 07 वर्ष के लगान रसीद वर्ष 2007-08 तक निर्गत होने का विवरण अंकित है प्रथम हुस्पा उक्त जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होता है

अवाफ
21/11/08